न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05/2019	2019/00305	10.10.2019	19.09.2022

उनवान प्रकरण

1. चन्दा कंवर पुत्री स्व. बजरंगसिंह उम्र 28 साल
2. नत्थूसिंह पुत्र स्व. बजरंगसिंह उम्र 37 साल
3. भवानीसिंह पुत्र स्व. बजरंगसिंह उम्र 34 साल
4. सुप्यार कंवर पत्नी स्व. बजरंगसिंह उम्र 65 साल

जाति राजपूत निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपर जिला सीकर (राज0)

—— **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत महरोली पं. सं. श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

———**रेस्पोडेन्ट**

उपस्थितः—

श्री राम सिंह शेखावत, एड0 अपीलार्थीगण अभिभाषक।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 रेस्पोडेण्ट अभिभाषक।

नामान्तकरण अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 2.10.2019 प्रस्ताव सं. 2 सरपंच ग्राम पंचायत महरोली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) बाबत नामान्तकरण संख्या–2684 ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3160, 3162, 3163, 3175 कुल किता–4 कुल क्षेत्रफल 1.3600 हैक्टर का खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण का पिता–पति स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह चला आ रहा था। जिनका स्वर्गवास दिनांक 19–01–2018 को हो चुका है तथा स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह के वारिसान–उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण ही है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस उत्तराधिकारी नही है एवं उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या–2684 दिनांक 21.8.2019 पटवारी हल्का महरोली द्वारा अपीलार्थीगण के नाम भरकर एवं दर्ज कर भू.अ. निरीक्षक महरोली के समक्ष जांच एवं स्वीकृति हेतु पेश किया गया। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक महरोली द्वारा 3.9.2019 को अपनी जांच रिपोर्ट नामान्तकरण सही होने बाबत प्रस्तुत की गयी तथा इसके बाद नामान्तकरण सही होने बाबत प्रस्तुत की गयी तथा इसके बाद नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत महरोली के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया गया। जिसे रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत महरोली ने पंचायत बैठक दिनांक 5.9.2019 को प्रस्ताव संख्या–1 के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार कर नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर विरासत के आधार पर खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज कर दी गयी परन्तु इसकें बाद रेस्पोडेन्ट ने प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 2.10.2019 के द्वारा नामान्तकरण संख्या–2684 को पुनः खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थीगण श्रीमान् न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है:

रेस्पोडेन्ट का निर्णय दिनांक 2.10.2019 बाबत नामान्तकरण संख्या–2684 विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3160, 3162, 3163, 3175 कुल किता–4 कुल क्षे[illegible] काश्तकार अपीलार्थीगण का पिता–पति स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह [illegible] जिनका स्वर्गवास दिनांक 19.01.2018 को हो चुका है तथा स्व[illegible] पुत्र सलाबसिंह के वारिसान–उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण ही है। इनके अलावा अन्य को[illegible]रिस उत्तराधिकारी नही है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण अपने पिता–पति स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह की मृत्यु उपरान्त पूर्णतः काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या–2684 दिनांक 21.08.2019 पटवारी हल्का महरोली द्वारा अपीलार्थीगण के नाम भरकर एवं दर्ज कर भू.अ. निरीक्षक महरोली के समक्ष जांच एवं स्वीकृति हेतु पेश किया गया। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक महरोली द्वारा 3.9.2019 को अपनी जांच रिपोर्ट नामान्तकरण सही होने बाबत प्रस्तुत की गयी तथा इसके बाद नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत महरोली के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया गया। जिसे रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत महरोली ने पंचायत बैठक दिनांक 5.9.2019 को प्रस्ताव संख्या–1 के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार कर नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर विरासत के आधार पर खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज कर दी गयी परन्तु इसके बाद रेस्पोडेन्ट ने प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 2.10.2019 के द्वारा नामान्तकरण संख्या–2684 को पुनः खारिज फरमाया गया है। जो कतई गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से खारिज फरमाया गया है। जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार किसी किस्म का नही है ना ही था तथा यहां यह उल्लेखनीय है कि नामान्तकरण की बाबत रेस्पोडेन्ट द्वारा एक बार निर्णय पारित कर दिये जाने के बाद रेस्पोडेन्ट को उसी नामान्तकरण बाबत दुबारा निर्णय पारित कर नामान्तकरण को खारिज करने का कोई अधिकार किसी प्रकार का नही था। इसलिए रेस्पोडेन्ट का निर्णय जो नामान्तकरण खारिज करने बाबत पारित किया गया है। विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है।

उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में अपीलार्थीगण को पिता–पति स्वर्गीय बजरंगसिंह के दत्तक पिता स्वर्गीय सलाबसिंह के नाम दर्ज चली आ रही थी। जिसका विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के पिता–पति स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह के नाम स्वीकार किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह के नाम दर्ज की गयी थी क्योकि अपीलार्थीगण के पिता–पति स्वर्गीय बजरंगसिंह, सलाबसिंह के दत्तक पुत्र थे तथा उसको बाल्यावस्था बचपन में ही सलाबसिंह ने दत्तक ले लिया था तथा बजरंगसिंह अपने दत्तक पिता सलाबसिंह का पुत्र होकर भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा था तथा भूमि का खातेदार काश्तकार चला आ रहा था तथा बजरंगसिंह का उसके जायन्दा–प्राकृतिक [illegible] से बजरंगसिंह को दत्तक सलाबसिंह द्वारा ले लिये जाने के बाद कोई संबंध किसी [illegible] रहा था। इसलिए उसके हक में नामान्तकरण सही रूप से स्वीकार किया जाकर खातेदारी सही रूप से दर्ज होकर भूमि का अपीलार्थीगण का पिता–पति स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र स[illegible]सिंह भूमि का खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

चला आ रहा था तथा उसकी मृत्युपरान्त अपीलार्थीगण उनके वारिसान–उत्तराधिकारी होकर भूमि पर पूर्णत काबिज काश्तकार खातेदार चले आ रहे है परन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने मनमर्जी का निर्णय दिनांक 2.10.2019 प्रस्ताव संख्या– 2 के आधार पर नामान्तकरण को पुनः खारिज करने बाबत पारित फरमाया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत महरोली ने चुनौतिग्रस्त निर्णय बिना मजमे आम पारित किया गया है जो बिना कोई सूचना व बिना कोई नोटिस जारी किये बाला बाला गलत एवं विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्ट के चुनौतिग्रसत निर्णय व प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 2.10.2019 की जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.11.2019 को लेने पर होने से उक्त अपील नियमानुसार अन्दर मियाद पेश कर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत महरोली का चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 2.10.2019 प्रस्ताव संख्या 2 जो नामान्तकरण संख्या 2684 का अपास्त किये जाने का निवेदन वकील अपीलार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में किया है।

इस पर अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव जवाब हेतु अवसर चाहा। वकील रेस्पोडेण्ट को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये। बावजूद अवसरों के भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अपील बन्द किया जाकर प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया। वकील अपीलार्थीगण ने अपील नामान्तकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किये जाने बाबत निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील रेस्पोडेण्ट ने प्रकरण में बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर वकील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को सीधे ही बहस में लिया गया।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थीगण अभिभाषक व वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा की गई बहस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:21 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमहावीरजी

मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम महरोली के वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3160, 3162, 3163, 3175 कुल किता– 4 कुल क्षेत्रफल 1.3600 हैक्टर की खातेदारी अपीलार्थीगण का पिता – पति स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह के स्थान पर जरिये नामान्तकरण संख्या 2684 दिनांक 21.08.2019 के द्वारा अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड चले आना तथा स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह का स्वर्गवास दिनांक 19.01.2018 को होना प्रकट होता है। स्वर्गीय बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह के उक्त भूमि सलाबसिंह वल्द समेलसिंह कौम राजपूत सा. देह के फौतगी पर उत्तराधिकार में जरिये नामान्तकरण संख्या 168 के द्वारा प्राप्त होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जो आगे चलकर जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 व 2024 से 2027 में भी बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना पुरानी जमाबन्दियों के रिकार्ड से प्रमाणित होता है। भवानीसिंह शेखावत पुत्र स्व. बजरंगसिंह द्वारा पेश वारिसनामा शपथ पत्र में स्व0 बजरंगसिंह दत्तक पुत्र सलाबसिंह के वारिसान– उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण का ही होना अंकित किया है। जिससे भी अपील नामान्तकरण में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रकरण के अपील नामान्तकरण से सम्बन्धित होने से प्रकरण को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाने पर स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत महरोली द्वारा पा[illegible] पर पारित निर्णय दिनांक 02.10.2019 को अपास्त किया जाकर ख[illegible]भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को अपील इस आदेश के साथ रिमाण्[illegible] वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3160, 3162, 3163, 3175 कुल किता– 4 कुल क्षेत्रफल 1.[illegible] हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:21 IST
Reason: SelfAttested

14/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर जिला सीकर के खातेदारान् को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें एंव निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दंरामद की कार्यवाही करे। इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.14 14:19:21 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)